12/12/22

पत्रा० आज पेश हुई तहसीलदार नगर निगम
प्रकरण- विपक्षीगण के अधिवक्ता- के मार्फत
दिनांक- 22/12/22 को पालना-
वापस किया कि तामील दि. 16.24 को
7/11/22 से पालना की आज्ञा दी
पत्रावली कोई कार्यवाही की जाने योग्य नहीं
रही है अतः प्रकरण को खारिज
पर R.O.P (डिस्प) किया जाता है पक्ष
मौसल होकर प्रकरण बोझ से समाप्त है

सदस्य
लोक अदालत
भरतपुर

अध्यक्ष
लोक अदालत
भरतपुर

Scanned with CamScanner